:- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :-

पीठासीन अधिकारी :- श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 88 / 21

उनवान

1. रामनिवास पुत्र हजारी जाति भांवी निवासी वनेवडा

-- प्रार्थीगण :- जरियें अधिवक्ता महेश सुकरिया

बनाम

1. गोपाल पुत्र मोहन
2. निहाल पुत्री मोहन
3. मनभर पुत्री मोहन
4. महावीर पुत्र मोहन
5. सुरेश पुत्र मोहन
6. भंवरी पुत्री मोहन जाति भांवी निवासी वनेवडा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

-- अप्रार्थीगण :- जरिये अधिवक्ता नरेन्द्र पाराशर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955

दिंनाक :- 22.12.21

-: आदेश :-

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम वनेवडा में स्थित है जिसके खाता संख्या 632 / 413 खसरा नम्बर 2953 / 1771 रकबा 0.05, 2955 / 1772 रकबा 0.09, 2958 / 1773 रकबा 0.13, 2961 / 1774 रकबा 0.12 कुल किता 4 रकबा 0.39 प्रार्थी की भूमि है। जिस पर पुश्तैनी समय से प्रार्थी काविज काश्त मालिक चला आ रहा है। उक्त आराजीयात की सीमा के लगकर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की भूमि खसरा नम्बर 2956 / 1772, 2957 / 1772, 2959 / 1773, 2960 / 1773, 2962 / 1774 आस्थित है। जिस पर दिनांक 22.11.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 से 6 निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया एवं प्रार्थी की तरफ नींवे खोद दी है। जिस वावत अप्रार्थीगणों से सीमाज्ञान कराने का निवेदन किया था किन्तु सीमाज्ञान कराने को तैयार नहीं हो रहे है। उक्त भूमि का पूर्व में भी सीमाज्ञान कराया किन्तु भूमि का नाप सही नहीं होने के कारण प्रार्थी ने जिला कलक्टर महोदय, अजमेर को भू-[illegible]से सीमाज्ञान कराने हेतु आवेदन किया है। भू-प्रवंधक विभाग ने नोटिस जारी कर दिया [illegible]। जिसका सीमाज्ञान जल्द ही होने वाला है किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उनकी भूमि पर निर्माण [illegible] निरंतर चालू किया हुआ है। जिसको रोकने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित [illegible] साथ ही अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जाने हेतु [illegible] सीमाज्ञान होने तक [illegible]दकर पक्का निर्माण नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:28:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसमें अप्रार्थी ने निवेदन किया की खसरा नम्बर 2953/1771 रकबा 0.05, 2955/1772 रकबा 0.09, खसरा नम्बर 2958/1773 रकबा 0.13, 2961/1774 रकबा 0.12 की भूमि से अप्रार्थीगण का कोई हक सरोकार नहीं है, अप्रार्थीगण के द्वारा वादी/प्रार्थी के कब्जे में कभी किसी प्रकार से कोई दखल ही नहीं किया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा के सन्दर्भ में वाद प्रस्तुत करने बाबत कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों के उपयोग में बेवजह दखल करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने अनुतोष में यह भी दर्शाया है कि प्रार्थी जब तक सीमाज्ञान नहीं करा लेता है तब तक अप्रार्थीगण को रोका जावे। इस प्रकार का धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। खसरा नम्बर 2952/1771 रकबा 0.05, 2956/1772 रकबा 0.08, 2957/1772 रकबा 0.01, 2959/1773 रकबा 0.0100, 2960/1773 रकबा 0.11, 2962/1774 रकबा 0.12 वर्तमान जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थीगण गोपाल, निहाल, भंवरी, मनभर, महावीर व सुरेश खातेदार दर्ज है एवं काबिज है तथा उक्त भूमि में सभी विधिक अधिकार प्राप्त है। निर्माण आदि करने का भी विधिक अधिकार है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी की भूमि में किसी भी प्रकार से दखल ही नहीं किया जिससे प्रकरण निरस्त योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा बहस के दौरान कथन किया की वादग्रस्त आराजियात पूर्व शामिलात की भूमि है जिसका विभाजन हो गया है। प्रार्थी के हिस्से में जमीन कम आ रही है। वादग्रस्त आराजियात का सीमाज्ञान भू–प्रबंध अधिकारी से कराये जाने हेतु आवेदन किया जा चुका है। सीमाज्ञान होने तक अप्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य को रोका जावे। भूमि पर निर्माण भूमि का संपरिवर्तन कराये जाने के पश्चात ही किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि वादग्रस्त आराजियात का माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के निर्णय अनुसार बराबर–बराबर बॅटवारा हो चुका है तथा सीमाज्ञान होने के पश्चात अपनी–अपनी भूमि पर काबिज है। साथ ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 02 में यह स्वीकार किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य उनकी अपनी ही खातेदारी भूमि मे किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी हाल जमाबन्दी अनुसार रामनिवास पुत्र हजारी तथा गोपाल पुत्र मोहन, निहाल पुत्री मोहन, भंवरी पुत्री मोहन, मनभर पुत्री मोहन, महावीर पुत्र मोहन, सुरेश पुत्र मोहन के नाम अलग–अलग खातों में उक्त आराजी पूर्व में अविभाजित थी जिसका हाजा न्यायालय द्वारा लोक अदालत में उभयपक्ष की सहमति से विभाजन किया गया। धारा 212 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी प्रकरण का विनिश्चयन करते समय प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूर्णनीय क्षति के तीनों घटकों पर विचार किया जाना आवश्यक होता है। किसी व्यक्ति का विवादग्रस्त भूमि पर क्या अधिकार है यह तो साक्ष्यों के परीक्षण और उसके आधार पर वाद की कार्यवाही के दौरान अंतिम निर्णय पर ही तय हो सकता है। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसमे तो यही देखा जाना अपेक्षित है कि वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिन क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला या सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में बनता है या नहीं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:28:11 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त आराजी न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा से हुए निर्णय दिनांक 30.6.2015 अनुसार विभाजन से हाल जमाबन्दी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज है। दिनांक 23.1.

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

को मौका पर्चा संपादित किया गया। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता मोहन के हस्ताक्षर है। ... ही दिनांक 10.12.2019 के मौका पर्चा अनुसार उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर कब्जा संभलाया गया जिसमें प्रार्थी के भी हस्ताक्षर है। प्रार्थी पुनः उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाना चाहता है साथ ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 02 में यह स्वीकार किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य उनकी अपनी ही खातेदारी भूमि में किया जा रहा है। इससे प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है कि अप्रार्थीगण विभाजन के बाद प्राप्त स्वयं की खातेदारी भूमि पर निर्माण कर रहें है। इससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात का विधिवत पक्षकारों की मौजूदगी में विभाजन किया गया। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्ध नहीं होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :– विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण के द्वारा नीवें खोदकर पक्के निर्माण को सीमाज्ञान होने तक रोकने हेतु अनुतोष चाहा गया है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में निवेदन किया की खसरा नम्बर 2953/1771 रकबा 0.05, 2955/1772 रकबा 0.09, खसरा नम्बर 2958/1773 रकबा 0.13, 2961/1774 रकबा 0.12 की भूमि से अप्रार्थीगण का कोई हक सरोकार नहीं है, अप्रार्थीगण के द्वारा वादी/प्रार्थी के कब्जे में कभी किसी प्रकार से कोई दखल ही नहीं किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 02 में यह स्वीकार किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य उनकी अपनी ही खातेदारी भूमि में किया जा रहा है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा के सन्दर्भ में वाद प्रस्तुत करने बाबत कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने अनुतोष में यह भी दर्शाया है कि प्रार्थी जब तक सीमाज्ञान नहीं करा लेता है तब तक अप्रार्थीगण को रोका जावे। इस प्रकार का धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। खसरा नम्बर 2952/1771 रकबा 0.05, 2956/1772 रकबा 0.08, 2957/1772 रकबा 0.01, 2959/1773 रकबा 0.0100, 2960/1773 रकबा 0.11, 2962/1774 रकबा 0.12 वर्तमान जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थीगण गोपाल, निहाल, भंवरी, मनभर, महावीर व सुरेश खातेदार दर्ज है एवं काबिज है तथा उक्त भूमि में सभी विधिक अधिकार प्राप्त है। निर्माण आदि करने का भी विधिक अधिकार है। अप्रार्थीगण को अपने अधिकारों से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। सभी तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा पक्का निर्माण अपनी स्वामित्व की भूमि में किया जा रहा है। जिसमें प्रार्थी का हित निहित नहीं है। शेष तथ्य मूल वाद में तय होंगे। अतः प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने पर उन्हें क्या अपूरणीय क्षति होगी।

3. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक अप्रार्थीगण सिद्ध होता है व अपूरणीय क्षति की सभावना भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होती है। सद्नुसार [illegible] का संतुलन भी बहक अप्रार्थीगण सिद्ध होता है।

आदेश :– अतः ग्राम बनेवडा के खाता संख्या 632/413 खसरा नम्बर 2953/1771 रकबा 0.05, 2955/1772 रकबा 0.09, 2958/1773 रकबा 0.13, 2961/1774 रकबा [illegible] कुल किता 4 रकबा 0.39 हैक्टर की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र [illegible] किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:28:11 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 3.12.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद